

लौह एवं इस्पात वितरण नीति

निगम द्वारा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा आवंटित लौह इस्पात राज्य की लघु उद्योग उपक्रम को वितरण हेतु निम्न नीति अपनाई जायेगी :-

1. राज्य की उद्यमी ज्ञापन पार्ट द्वितीय अभिस्वीकृत लघु उद्योग उपक्रम को लौह इस्पात वितरण हेतु निगम में पंजीकरण किया जायेगा । इस हेतु इकाईयों निर्धारित प्रपत्र अनेक्सर 'ए' में आवेदन करेंगी ।
2. उपक्रम को उसकी उपभोग क्षमता से अधिक कच्चा माल उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा ।
3. निगम द्वारा उपार्जित माल का आवंटन एवं वितरण इच्छुक क्रेता लघु उद्योग उपक्रम को निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(I) एच.आर/सी.आर.कोइल/स्केल्प हेतु -

(ए.) एच.आर/सी.आर.कोइल/स्केल्प के वार्षिक एम.ओ.यू करने वाली इकाईयों को एस.एस.आई.सी. रिबेट निम्नानुसार पारित की जायेगी :-

क्र. सं०	एम.ओ.यू मात्रा (मै. टन)	कुल देय एस.एस. आई. रिबेट	इन्वॉईस स्टेज पर ।	एम.ओ.यू पूर्ण होने पर
1	प्रारंभ से 5000 तक	रु.275/- प्रति मै० टन	रु.120/- प्रति मै० टन ।	155/-प्रति मै० टन
2	5001 से 8000 तक	रु.350/- प्रति मै० टन	रु.120/- प्रति मै० टन । रु.175/- प्रति मै० टन 5000 मै० टन क्रय करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर ।	175/-प्रति मै० टन
3	8001 से 12000 तक	रु.400/- प्रति मै० टन	रु.120/- प्रति मै० टन । रु.175/- प्रति मै० टन 5000 मै० टन क्रय करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर । रु.200/- प्रति मै० टन 8000 मै० टन क्रय करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर ।	200/-प्रति मै० टन
4	12000 से अधिक	रु.425/- प्रति मै० टन	रु.120/- प्रति मै० टन । रु.175/- प्रति मै० टन 5000 मै० टन क्रय करने के पश्चात सम्पूर्ण	225/-प्रति मै० टन

			मात्रा पर । रू.200/- प्रति मै0 टन 8000 मै0 टन क्य करने के पश्चात सम्पूर्ण मात्रा पर ।	
--	--	--	--	--

यह रिबेट निगम को सेल/आर.आई.एन.एल. से प्राप्त होने पर ही दी जायेगी ।

(बी) एम.ओ.यू. करने वाली इकाईयों पर स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया/राष्ट्रीय

इस्पात निगम के एम.ओ.यू. सम्बन्धित नीतिगत प्रावधान भी लागू होंगे ।

(सी) सेल/आर.आई.एन.एल. के साथ वार्षिक आधार पर एम.ओ.यू. किया जायेगा । इस एम.ओ.यू. का माल इकाईयों को भी इसी आधार पर आवंटित किया जायेगा ।

(डी) एम.ओ.यू. रूपय 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निगम के निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा ।

(ई.) यदि कोई इकाई एम.ओ.यू. पूर्ण नहीं कर पाती है तो एम.ओ.यू. पूर्ण होने पर देय एस.एस.आई. सी. रिबेट टी.ओ.डी.,कन्सिस्टेन्सी रिबेट नहीं दी जायेगी । एम.ओ.यू. पूर्ण करने वाली इकाईयों को टी.ओ.डी. कन्सिस्टेन्सी रिबेट सेल द्वारा देने पर ही दी जायेगी । आई.एफ.सी., दरों में अन्तर राशि, त्रैमासिक रिबेट का भुगतान सेल से प्राप्त होने पर ही किया जायेगा ।

(एफ.) डायरेक्ट डिस्पेच बुकिंग हेतु 05.00 लाख रूपये पी.एफ.ए. के लिये जायेगे इस राशि का माह की बुकिंग के अन्तिम वैगन में समायोजन का प्रावधान रहेगा । यदि कोई इकाई अपनी बुकिंग का माल नहीं लेगी तो वह माल सेलस्टॉक यार्ड में डाईवर्ट करवा कर सम्बन्धित चार्जेज इकाई को डेबिट कर दिये जायेगें । एक बार डाईवर्ट करवाने वाली इकाईयों से पी.एफ.ए. राशि 10.00 लाख रूपये लेकर ही भविष्य में माल बुक करवाया जा सकेगा ।

(जी.) एम.ओ.यू. हेतु किसी भी प्रकार की अमानत राशि नहीं ली जायेगी ।

(II) वायर रोड व अन्य लौह इस्पात उत्पाद हेतु -

(ए) वायर रोड व अन्य लौह इस्पात उत्पाद हेतु इकाइयों को एस.एस.आई.सी रिबेट निम्नानुसार दी जायेगी ।

माल की मात्रा वर्ष में	इन्वॉइस स्टेज पर देय रिबेट
शून्य से 200 मैट्रिक टन तक	रु. 280 /- प्रति मै.टन
200 मै.टन से अधिक	रु. 300 /- प्रति मै.टन सम्पूर्ण मात्रा पर

(बी) इकाइयों यह माल वार्षिक एम.ओ.यू के आधार पर क्रय कर सकती है जिन्हे उक्त (ए) में वर्णित रिबेट के अतिरिक्त निगम को उत्पदक से प्राप्त होने वाले एम.ओ.यू. डिस्काउन्ट आदि भी दिये जायेगे ।

(सी) नॉन एम.ओ.यू के आधार पर क्रय करने वाली इकाइयो को मात्र निर्धारित एस.एस.आई.सी रिबेट ही दी जायेगी ।

(डी) यह माल एम.ओ.यू या नॉन एम.ओ.यू के अन्तर्गत क्रय करने वाली इकाइयों को एस.एस.आई.सी रिबेट 30 सितम्बर व 31 मार्च को कुल उठाये गये माल पर निर्धारित दर से दी जायेगी ।

(ई) नॉन एम.ओ.यू इकाइयों को माल की आपूर्ति एम.ओ.यू इकाइयों को प्राथमिकता दिये जाने के उपरान्त शेष बचे माल की उपलब्धता एवं इकाइयों की मांग को मध्यनजर रख कर की जायेगी ।

(एफ) आवंटित किये गये माल की उपयोगिता जाँच हेतु सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को आवंटन की एक प्रति भिजवाई जायेगी । लघु उद्योग इकाई माल प्राप्ति पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को उपयोगिता जाँच हेतु लिखित में सूचित करेंगी एवं उपभोग पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निगम को प्रस्तुत करेंगी । जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दोषी पाई गई इकाइयों को माल की आपूर्ति तुरन्त बन्द करदी जायेगी ।

(जी) दरें डिस्पेंच बुकिंग हेतु उत्पादक की शर्तों के अनुसार पी.एफ.ए. राशि निगम में जमा करानी होगी ।

4 इकाइयों द्वारा निगम को अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से करना होगा भुगतान प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त सेल/आर.आई.एन.एल. के नाम चैक जारी करवा कर माल की डिलीवरी की जायेगी ।

5 (ए) एक ही आर.आर. एवं विभिन्न साईज का माल अलग-अलग वैगन में आने की स्थिति में इकाईयों से शपथ पत्र लिया जायेगा यथा संभव निगम मांग के अनुसार वैगन देगा परन्तु किन्ही परिस्थिति में कोई माल किसी दूसरे के वैगन में आ जाता है तो इकाई को स्वीकार्य होगा ।

(बी) यदि एक ही आर.आर. में 2 या 3 इकाईयों का माल आ जाता है तो सभी इकाईयों को एक मुश्त राशि जमा करवानी होगी जो भी इकाई देरी से राशि जमा करायेगी एवं जिस इकाई द्वारा राशि जमा करवा दी गई है उनके सभी वारफेज/डेमरेज, देरी से भुगतान करने वाली इकाईयों को वहन करने होंगे ।

(सी) प्रत्येक माह की 5 तारीख डायरेक्ट डिस्पेच बुकिंग एवं स्टॉक यार्ड की बुकिंग 23 तारीख तक देने पर ही सेल/आर.आई.एन.एल. में माल बुक करवाया जा सकेगा ।

किसी भी प्रकार का संशोधन घटाना बढ़ाना व नीति आदि में परिवर्तन इत्यादि शक्तियों प्रबन्ध निदेशक महोदय के पास ही होंगी।

REGISTRATION FORM

The Rajasthan Small Industries Corporation Limited

Udyog Bhawan,

Jaipur.

Dear Sir,

We are pleased to furnish following latest information of our MSME Unit and book the annual requirement of Iron & Steel for the year

S. No.	REQUIRED INFORMATION	DETAILS
1.	Name of Unit	
2.	Address of the Unit	
3.	Address of Corporate Office	
4.	Phone, Fax & Mobile No. of Unit with name of contact person	
5.	DIC Permanent Registration No. & Year (Photocopy be enclosed)	
6.	Latest physically and working existence certificate issued by concerning DIC / Latest Electricity Bill. (Certified copy be enclosed)	
7.	Copy of PAN & Copy of IT Return filled be enclosed	
8.	Latest VAT assessment certificate (Photocopy be enclosed)	

9.	Tin No. (Certified copy be enclosed)	
10.	Items being Manufacturing in the Unit	
11.	Quantities & Category of Iron & Steel consumed by the Unit during (Pervious year)	
12.	Quantities & Category of Iron & Steel procured from RSIC during (Pervious year) Details is to be given	
13.	Quantities & Category of Iron & Steel procured from open market during (Pervious year) Details is to be given	
14.	Actual requirement of Iron & Steel to be booked for the year Details of quantity & category is to be given.	
15.	List of certified copies of documents attached	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I / We have gone through carefully Iron & Steel distribution policy of RSIC Ltd. and agree to abide by all the terms and condition mentioned in the aforesaid distribution policy of the Corporation.

Affidavit in the prescribed form on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/- is enclosed.
ANNEXURE – 'B'

Thanking you

Yours Faithfully

Authorized Signatory

Name.....

Designation with Seal

AFFIDAVIT

I / We.....
Undertake that we are Consumers of Iron & Steel in MSME Sector of Rajasthan having annual requirement up toTone. We also undertake that Iron & Steel purchased from The Rajasthan Small Industries Corporation Limited (RSIC) will not be resold or traded but it will be utilized properly by us as end user and in case we are found defaulter or make breach of any of the conditions, the RSIC Ltd. Shall be entitled to stop supply of Iron & Steel top us and take necessary legal action as per law.

For.....

Authorized Signatory

(Name & Company Seal)

Phone No.....

Fax No.....

